भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EY 716543

न्यास पत्र

"विनय मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट"

578 फ्रेण्डस कालौनी इटावा (उ0प्र0)

आज दिनांक 20.11.2019 को हम लोगो शिवप्रसाद यादव,विनीत यादव व श्रीमती संतोष कुमारी ने एक ट्रस्ट की स्थापना का निर्णय लिया है ट्रस्ट की स्थापना हेतु श्रद्धा यादव पुत्री श्री उमेश यादव निवासी खुशीपुरा झांसी ने 11000/–रु0 की धनराशि का सहयोग प्रदान किया है । ट्रस्ट की नियमावली व अन्य निम्नवत रहेगा।

1– ट्रस्ट का नाम – विनय मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट होगा।

2– ट्रस्ट का कार्यालय –578 फ्रेण्डस कालौनी इटावा उ0प्र0 होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकते है।

3–ट्रस्ट कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

ट्रस्ट के समेकित उद्देश्य निम्नांकित होगे–

1–शिक्षा की उत्तरोत्तर विकास हेतु नर्सरी एवं शिशु स्तर से लेकर प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल उ0मा0, स्नातक तथा स्नाकोत्तर कक्षा तक के बालक एवं बालिकाओ के लिये हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,उर्दू आदि भाषाओ के माध्यम से शिक्षा देने हेतु विधालय तथा शैक्षिक संस्थान खोलना एवं उनका संचालन करना और इन उद्देश्यो की पूर्ति

सन्तोष कुमारी

रजिस्टर का क्रमांक 26 सामिल नं

स्टाम्प बिक्री की तिथि 19/11/19

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम और पता विनय मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शिवप्रसाद यादव S/o श्री बाबूराम यादव नि० [illegible] हरदू जिला औरैया

स्टाम्प की धनराशि 100

शिशुपाल सिंह (स्टाम्प विक्रेता)
लाइ०नं० 1/11-12, ला० की अवधि 2022
वि० करने का स्थान तहसील परिसर
सदर-इटावा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(2)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 352395

के लिये आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओ को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।

2–इंजीनियरिंग,मेडीकल, प्रबन्धन ,पैरामेडिकल,नर्सिंग ,फार्मेसी और अन्य सभी प्रकार कर व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थानो की स्थानपा करना एवं उनका विकास एवं संचालन करना तथा इन क्षेत्रो मे नवीन शोध हेतु अपने शैक्षिक संस्थानो मे सुविधाएँ/प्रयोगशालाए स्थापित करना और इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिये आवश्यकता होने पर अन्य शैक्षिक संस्थाओ को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना।

3–अपने शैक्षिक संस्थानो मे आर्थिक शारीरिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित एवंज न जाति एवं जन जाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा हेतु शैक्षिक तथा अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

4–उपरोक्त शैक्षिक उद्देश्यो की पूर्ति हेतु आवश्यक होने पर एलोपैथिक, आयुर्वेदिक,यूनानी,होम्योपैथिक तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रकार की चिकित्सा पद्धतियो पर आधारित अस्पताल खोलना तथा उनका संचालन करना।

<u>विधान एवं नियमावली</u>

1– ट्रस्ट का नाम – विनय मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट होगा।

2– ट्रस्ट का कार्यालय –578 फ्रेण्डस कालौनी इटावा उ0प्र0 होगा। ट्रस्टीगण आपसी सहमति से इसे अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर सकते है।

सन्तोषकुमारी

(२)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 352396

3–ट्रस्ट का वर्ष–2012

4–ट्रस्ट कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

इस ट्रस्ट को संचालित करने के लिये निम्नलिखित ट्रस्टीगण होगे

कम सं0	नाम	उम्र	पद	पता	हस्ताक्षर
1	श्री शिवप्रसाद यादव पुत्र बाबूराम यादव मो0न09719109501 पेन न0**AAPPY6346L**	58 वर्ष	मेनेजिंग ट्रस्टी	ग्राम व पो0हरदू जिला औरैया	
2	श्री विनीत यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव पेन न0 **BBZPK1806R**	31 वर्ष	ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी	ज्ञान स्थली कर्वा खेड़ा पो0कर्वा वुजुर्ग जिला इटावा	
3	श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री शिवप्रसाद यादव पेन न0 **AEPPK3710A**	56 वर्ष	ट्रस्टी	ज्ञान स्थली कर्वा खेड़ा पो0कर्वा वुजुर्ग जिला इटावा	

उपरोक्त ट्रस्टी आजीबन निम्नलिखित नियमो का पालन करते हुए ट्रस्ट का संचालन करेंगे।

4

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(४)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352397

1–ट्रस्टीकरण की सभी बैठको की अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा तथा मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुपस्थित मे ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा की जायेगी। मैनेजिंग ट्रस्टी व ज्वाइंट मैनेजिंग ट्रस्टी दोनो के अनुपस्थिति की दशां मे किसी अन्य ट्रस्टी द्वारा अध्यक्षता की जायेगी ट्रस्ट बैठको मे सभी निर्णय बहुमत के आधार पर होगे । मतों की बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत का प्रयोग किया जायेगा ।

2–मैनेजिंग ट्रस्टी के द्वारा बैंक के समस्त खातो का संचालन किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर अथवा मैनेजिंग ट्रस्टी की अक्षमता अथवा अनुपलब्धता पर ज्वाइंट ट्रस्टी के हस्ताक्षर से खाते का संचालन होगा ताकि ट्रस्ट की व्यवस्था समुचित रूप से संचालित हो सके।

3–ट्रस्ट के द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओ की प्रबन्ध समिति का चयन ट्रस्ट के तीन पदाधिकारियो द्वारा ही आम सहमति से किया जायेगा। तथा ऐसे किसी भी पदाधिकारी का निलम्बन तथा निस्कासन ट्रस्टीगणो के बहुमत के आधार पर ही किया जायेगा

4–ट्रस्टीगणो द्वारा चयनित किसी संस्था की प्रबन्ध समिति या प्रबन्ध समिति का कोई पदाधि कारी यदि संस्था के हितो के विपरीत कार्य करता है तो ट्रस्टीगण बहुमत के आधार पर विना किसी पूर्व सूचना के किसी भी वक्त या तो पूरी प्रबन्ध समिति को भंग कर सकते है।या किसी पदाधिकारी को विना कारण वताओ नोटिस दिये निष्कासित कर सकते है।

सन्तोष कुमारी

5

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 352398

(2)

5–ट्रस्टीगण यदि स्वच्छा से समाज की और अधिक सेवा करना चाहते है तो ट्रस्ट द्वारा संचालित एक संस्था कई संस्थाओ या सभी संस्थाओ मे प्रबन्धक/मंत्री,उपप्रबन्धक/उपमंत्री तथा कोषाध्यक्ष पद पर प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी भी बन सकते है और कोई भी ट्रस्टी स्वेच्छा से किसी संस्था की प्रबन्ध समिति से ट्रस्टीगणो को विश्वास मे लेकर कार्यमुक्त हो सकता है।

6–ट्रस्ट के सुचारू प्रबन्ध आय व्यय पर विचार करने एवं अन्य सभी प्रकार के मामलो के निस्तारण हेतु ट्रस्टीगण की अधिक से अधिक बैठके आयोजित की जायेगी परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष मे कम से कम तीन बैठके अवश्य आयोजित की जायेगी

7–ट्रस्ट की बैठको का कोरम कम से कम दो सदस्यो की उपस्थिति से पूर्ण होगा।

8–बैठको की समस्त कार्यवाही निर्धारित कार्यवाही पुस्तिका मे अंकित की जायेगी।

9–आय व्यय के रजिस्टर पर मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के हस्ताक्षर संयुक्त रूप से भुगतान व आय प्रमाणित करने के किये जायेगे।

10– ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति पर मैनेजिंग ट्रस्टी को पूर्ण नियन्त्रण होगा ।

11–मैनेजिंग ट्रस्टी की आज्ञा के विना किसी भी बैठक को आहुत नही किया जा सकता है।

सन्तोषकुमारी

6

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(६)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 352399

12– ट्रस्ट के सुचारू रूप से संचालन के लिये आय व्यय का ब्यौरा बनाया जायेगा। जिसका अनुमोदन तथा विश्लेषण ट्रस्टीगणो की बैठक मे किया जायेगा

13–स्मृति पत्र मे वर्णित तीनो प्रारम्भिक व्यक्तियो के अतिरिक्त इस ट्रस्ट का कोई भी अन्य व्यक्ति न तो सदस्य हो सकता है और न ही पदाधिकारी । जबकि वर्तमान ट्रस्ट मण्डल के कम से कम दो लोग जीवित रहेगे तब तक इस ट्रस्ट मे किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नही किया जायेगा। जब एक ही सदस्य जीवित रह जायेगा तो उसे अधिकार होगा कि वह अपनी मर्जी के मुताबिक अपने उत्तराधिकारियो मे से ही किन्ही दो व्यक्तियो को ट्रस्टी के रूप मे नामित करे। ट्रस्ट के प्रारम्भिक तीनो ट्रस्टीगण मे जब तक एक भी आखिरी ट्रस्टी जीवित रहेगा तब तक वही मैनेजिंग ट्रस्टी रहेगा । प्रारम्भिक तीनो ट्रस्टीगणो की मृत्यू के पश्चात उनके उत्तराधिकारी ही इस ट्रस्ट के सदस्य होगे जिसमे बड़ा पुत्र ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा। अखिरी जीवित बचे मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा नामित किये गये नये ट्रस्टी यदि ट्रस्ट के हित मे कार्य नही करते हे तो मैनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उन्हे हटाकर दूसरे ट्रस्टी नामित करे । जिससे ट्रस्ट की व्यवस्था अग्रिम कार्यो के लिये सुचारू रूप से संचालित हो सके।

14– ट्रस्ट के इस विधान मे मैनेजिंग ट्रस्टी के निर्देशानुसार ऐसा कोई भी संसोधन किया जा सकता है जो उसकी दृष्टि मे ट्रस्ट के संचालन हेतु आवष्यक हो किसी भी स्थिति मे कठिनाई उत्पन्न होने पर मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देषो के अनुसार समस्याओ का जो समाधान किया जायेगा वही सर्वमान्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352400

15–इस ट्रस्ट का विलय अन्य किसी ट्रस्ट/समिति मे नही किया जायेगा। यदि कोई समिति/ ट्रस्ट जनहित मे अपना विलय इस ट्रस्ट मे करना चाहता है उस समिति / ट्रस्ट द्वारा बहुमत प्रस्ताव पारित करके उस ट्रस्ट/समिति का विलय कर सकेगा लेकिन विलय के बाद पिछली ट्रस्ट/समिति के किसी भी पदाधिकारी को इस ट्रस्ट मे रखने के बाध्यता नही होगी ।इस पूरी विलय प्रक्रिया को लागू करने के लिये ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी अधिकृत होगा । यदि ट्रस्ट को अन्य किसी कार्य को सम्पादित करने के लिये विधिक रूप से कोई समिति के पंजीकरण की आवश्यकता हुई तो वह समिति भी इस ट्रस्ट के अधीन होगी और सारे अधिकार भी मैनेजिंग ट्रस्टी व अन्य ट्रस्टीगणो को ही होगे और मैनेजिंग ट्रस्टी संस्था/समिति के संचालन के लिये किसी भी पदाधिकारी /कमेटी नामित कर सकता है और यदि इसके द्वारा ट्रस्ट/संस्था/समिति के हितो के विरूध कोई कार्य किया गया तो तत्काल प्रभाव से मैनेजिंग ट्रस्टी को अधिकार होगा कि वह उन्हे हटाकर पुनःनये पदाधिकारी/कमेटी नामित कर दे तथा इस संस्था/समिति के खातो का भी संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा एकल रूप से किया जायेगा और आवश्यकता पड़ने पर समय समय पर निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी मे ही निहित है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(२)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352401

ट्रस्टीगण के अधिकार

1– ट्रस्ट के फण्ड का समुचित प्रबन्ध करना तथा होने वाली आय लाभ एवं ब्याज को प्राप्त कराना उस पर होने वाली व्यय के अन्य देनदारियो का भुगतान करना।

2–मैनेजिंग ट्रस्टी– ट्रस्ट का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी होगा तथा वह ट्रस्ट की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करेगा। ट्रस्ट की तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित सस्थाओ की बैठको की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करवाएगा तथा ट्रस्ट के कार्योक्रमो का प्रचार प्रसार करेगा। ट्रस्ट की अदालती मे ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेगा ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयो की व्यवस्था करना उनका आकस्मिक निरीक्षण करना प्राधानाचार्य को अवकाश देना व उसके द्वारा संचालित विद्यालयो मे कर्मचारियो की नियुक्ति,निष्कासन,पदोन्नति,पदच्युत करना वेतन भोगी कर्मचारियो का वेतन तय करना व भुगतान करना उसके अधिकार मे होगा । ट्रस्ट की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना क्रय तथा विक्रय करना हस्तान्तरण कराये पट्टे पर लेने देने सम्बंधित प्रपत्रो ,दस्तावेजो ,शर्तनामो , बयनामो आदि पर हसताक्षर करने का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी का होगा ट्रस्ट के विकास हेतु समस्त प्रकार की धनराशिया सरकारी विभागो के अनुदान ,ऋण आदि प्राप्त करना अनुदान वाले प्रपत्रो दस्तावेजो आदि पर हस्ताक्षर करना , ट्रस्ट की ओर से ऋण देने वाले के पक्ष मे बन्धक देने वाले प्रपत्रो पर हस्ताक्षर करना मैनेजिंग ट्रस्टी का कर्तव्य होगा।

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352402

3–संयुक्त मैनेजिंग ट्रस्टी–

मैनेजिंग ट्रस्टी की उपस्थिति मे उनके सभी अधिकरों का उपयोग करेगे,मैनेजिंग ट्रस्टी उपस्थिति मे भी उनके निर्देशानुसार प्रतिनिधि के रूप बयनामा, अदालती कार्यवाही ,सम्पत्ति का कय तथा विकय एवं अन्य सभी कार्य करेगे।

4– ट्रस्टीगण उन सभी अधिकारो का प्रयोग करने हेतु अधिकृत होगे जो उन्हे विशेष रूप से मैनेजिंग ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त किये गये हो तथा जो ट्रस्ट के सुचारू संचालन मे उपयोगी एवं हित साधक हो।

5– ट्रस्ट द्वारा अथवा ट्रस्ट के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयो मे प्रस्तुत वादो की पैरवी , ट्रस्ट की सम्पत्ति के रख रखाव एवं स्वामित्व की सुरक्षा का उत्तरादायित्व ट्रस्टगणो का हो गा इस कार्य हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी ही अधिकृत होगें ।

6– ट्रस्ट के ट्रस्टीगण इस ट्रस्ट डीड द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियो व उत्तरादायित्वो के निर्वहन के अतिरिक्त इण्डियन ट्रस्ट एक्ट –1882 के अन्तर्गत प्राविधानिक उत्तरादायित्वो का निर्वहन करेंगे।

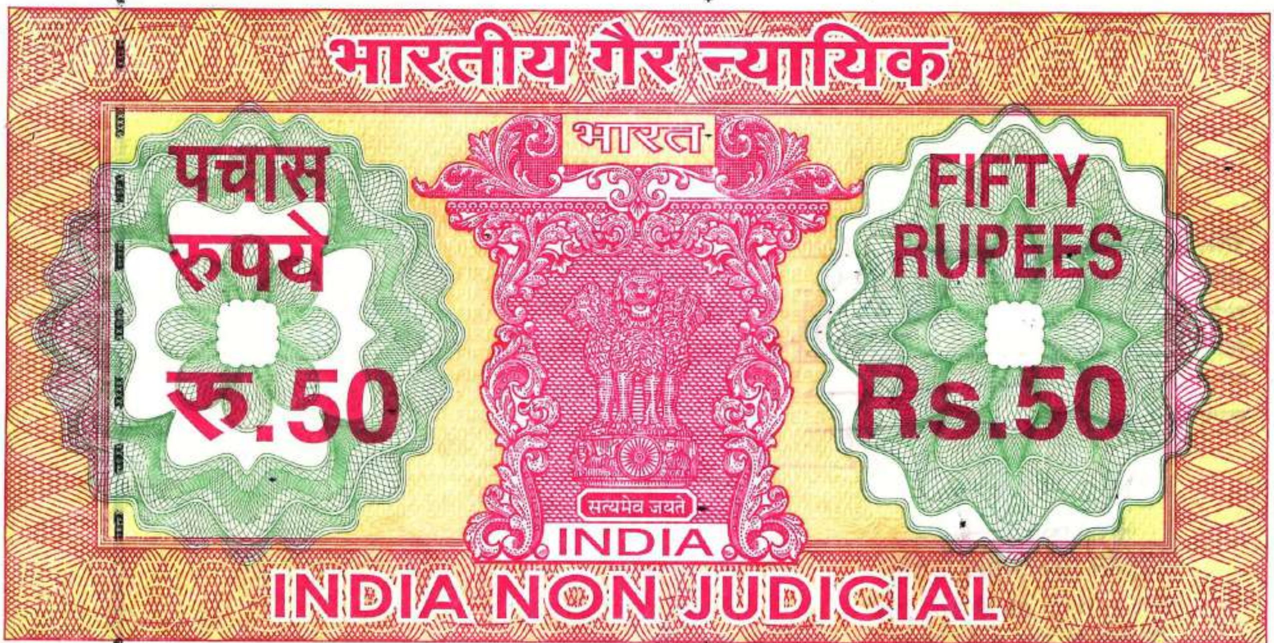

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352403

7– ट्रस्टीगण किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किसी भी भारतीय अथवा विदेशी व्यक्ति या संस्था या बैंक या वित्तीय संस्था से स्वेच्छापूर्वक दिया गया दान या अंशदान ,उपहार ,मासिक/बार्षिक चन्दा,डोनेशन ऋण और अन्य सभी प्रकार की वित्तीय तथा तकनीकी सहायता आदि प्राप्त कर सकेंगे।

8– ट्रस्ट के समस्त लेख एवं आय का व्यय का विवरण निर्धारित लेखों /अभिलेखो मे अंकित किया जायेंगा । ट्रस्टीगण द्वारा प्रतिवर्ष 21 तक की समस्त प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा,आय ,–व्यय वैलेन्स शीट तैयार कराकर उसका किसी योग्य किसी योग्य चार्टड एकाउन्ट से आडित कराया जा जायेगा।

9– ट्रस्टीगण द्वारा समय समय पर ट्रस्ट के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियो तथा लेखालिपिक ,कार्यालय सहायक व अन्य कर्मचारियो की आवश्यकतानुसार नियुक्त की जायेगी तथा उसके वेतन एवं भत्ते निर्धारित किये जायेगे ऐसे कर्मचारियो का देय वेतन एवं भत्ते ट्रस्ट के फण्ड से ही भुगतान किये जायेगे।

10– ट्रस्टीगण को यह अधिकार होगा कि वह बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर ट्रस्ट के ब्यापक हित मे ट्रस्ट की सम्पत्ति को विकय कर सकेगे या गिरवी रख सकेगे किन्तु गिरवी रखकर या बेंचकर जो धनप्राप्त होगा वह सर्व सम्मित से ट्रस्ट या ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओ के विकास हेतु या ट्रस्ट की किसी अन्य सम्पत्ति को कय करने हेतु उपयोग किया जायेगा ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(11)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BU 352404

11– ट्रस्ट के सभी फण्ड आयकर की धारा–13 के प्राविधानो के अन्तर्गत की प्रयुक्त एवं निवेशित किये जायेगें।

ट्रस्ट की सम्पूर्ण चल–अचल सम्पत्ति यदि किसी भी कारणवश ट्रस्ट भंग हो जाये अथवा समाप्त हो जाये तो समान उद्देश्यों के लिये कार्यरत अन्य किसी संस्था को सौप दी जायेगी जो इसका उपयोग सार्वजनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु ही करेगी।

प्रतिबन्ध

1–विद्यालय पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा संचालित है नवीनीकरण की आवश्यकता नही है

2–विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3–विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनु0जाति ,अनु0जनजाति के मेधावी छात्रो/बच्चो के लिये सुरक्षित रहेंगे और उसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

4–संस्था राज्य सरकार से अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय मा0शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रन बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्र एजूकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फार द इण्डियन स्कूल सट्रीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से

सन्तोषकुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(१२)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352405

सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उक्त परीक्षा परिषदो से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5–संस्था की शिक्षिण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तें नही दिये जायेगे।

6–कर्मचारियो की सेवा शर्ते वनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त आशासकीय उ0मा0विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

7–राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेंगी।

8–विद्यालय रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओ मे रखा जायेगा यदि हां तो प्रबन्धाधिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय/विभाग के शासन के सभी प्रतिबन्ध कमांक 1–से 8 तक स्वीकार है।

नोट–कमांक 1 से 8 तक के नियमो मे परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना परिवर्तन नही किया जायेगा।

सन्तोषकुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(13)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352406

विदित हो कि **विनय मेमोरियल एजूकेशन ट्रस्ट** का निबन्धन दिनांक 18.08.2012 को उपनिबन्धक इटावा मे किया जा चुका है जिस ट्रस्ट डीड कि जिसका इन्द्राज बही संख्या 4 जिल्द संख्या 44 पृष्ठ 131–158 पर कमांक 59 पर दिनांक 18.08.2012 को दफ्तर रजिस्ट्री इटावा मे हुआ है। उक्त ट्रस्ट डीड मे कुछ नियम अंकित होने से छूट गये जो इस नवीन ट्रस्ट डीड मे अंकित किये जा रहे है।

सन्तोष कुमारी

आवेदन सं०: 201900838013327

न्यास पत्र

रजिस्टर का क्रमांक बही सं०: 4 38 सामिल नं 26 रजिस्ट्रेशन सं०: 102 वर्ष: 2019

स्टाम्प बिक्री की तिथि 19-11-19

स्टाम्प क्रय कर प्रतिफल- 1000 स्टाम्प शुल्क - 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 220 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 300

स्टाम्प क्रेता का नाम और पता 232515

स्टाम्प की धनराशि 50 श्री शिवप्रसाद यादव ,

पुत्र श्री बाबूराम यादव

व्यवसाय : व्यापार

निवासी: ग्राम व पो0हरदू जिला औरैया

शिशुपाल सिंह (स्टाम्प विक्रेता)

लाoनं0 1/11-12, लाo की अवधि 2022

विo करने का स्थान तहसील परिसर

सदर-इटावा

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 20/11/2019 एवं 01:12:09 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता

उप निबंधक :सदर

इटावा

20/11/2019

शैलेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(१८)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BU 352407

अतः हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता ट्रस्टीगण यह ट्रस्ट डीड

आज दिनांक 20.11.2019 को तहरीर कर रहें कि सनद कर रहे है और समय पर काम आवें।

<u>हस्ताक्षर ट्रस्टीगण–</u>

<u>श्री शिवप्रसाद यादव पुत्र स्व0 श्री बाबूराम यादव</u>

<u>श्री विनीत यादव पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव</u>

<u>श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी श्री शिवप्रसाद यादव</u>

सन्तोषकुमारी

आवेदन सं०: 201900838013327

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 102 वर्ष: 2019

रजिस्टर का क्रमांक 39 सामिल नं 96
स्टाम्प बिक्री की तिथि 19-11-19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम और पता 222 815
स्टाम्प की धनराशि

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री शिवप्रसाद यादव, पुत्र श्री बाबूराम यादव

निवासी: ग्राम व पो0हरदू जिला औरैया

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी: 2

शिशुपाल सिंह (स्टाम्प विक्रेता)
लाo नo 1/11-12, वि0 करने का स्थान तहसील परिसर सदर-इटावा

श्री विनीत यादव स्थाई मैनेजिंग ट्रस्टी, पुत्र श्री शिवप्रसाद यादव

निवासी: ज्ञान स्थली कर्वा खेड़ा पो0कर्वा वुजुर्ग जिला इटावा

व्यवसाय: व्यापार

न्यासी: 3

श्रीमती संतोष कुमारी ट्रस्टी, पत्नी श्री शिवप्रसाद यादव

निवासी: ज्ञान स्थली कर्वा खेड़ा पो0कर्वा वुजुर्ग जिला इटावा

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री मुकेश कुमार , पुत्र श्री श्याम सिंह

निवासी: ग्राम कुकरकाट पो0उमरैन तह0विधूना जिला औरैया

व्यवसाय: व्यापार

पहचानकर्ता : 2

श्री बिदेश कुमार , पुत्र श्री अमर सिंह

निवासी: ग्राम खन्ता पो0सराय चौरी तह0भरथना जिला इटावा

व्यवसाय: व्यापार

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है
।

टिप्पणी :

अरुण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
इटावा

शैलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.5

सत्यमेव जयते

INDIA

A NON JUDICIAL

(15)

उत्तर प्रदेश U ESH

BU 352408

तहसील इटावा

सन्तोषकुमारी

गबाह 1–मुकेश कुमार पुत्र श्री श्याम सिंह निवासी ग्राम कुकरकाट पो0उमरैन तह0विधूना जिला औरैया मो0न0 9760558839

मुकेश कुमार

गबाह 2–बिंदेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह ग्राम खन्ता पो0सराय चौरी तह0भरथना जिला इटावा मो0न0 9720952543

बिन्देश कुमार

ता० हरीर तारीख 20 नवम्बर सन् 2018 ई०

अंशुमान कुदेसिया ब०न०

तहसील सदर इटावा जि० इटावा

लाइसेन्स नम्बर 6.3 वैधता 31-3-2020 तक

ली गयी फीस

अंशुमान कुदेसिया

आवेदन सं०: 201900838013327

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 75 के पृष्ठ 313 से 342 तक क्रमांक 102 पर दिनाँक 20/11/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

स्टाम्प विक्री की तिथि 19-11-19
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन
स्टाम्प क्रेता का नाम और पता
स्टाम्प की धनराशि

शिशुपाल सिंह (स्टाम्प विक्रेता)
लाइसेंस 1/11-12/ ला० की अवधि 2022
विक्रय करने का स्थान तहसील परिसर
सदर-इटावा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अरूण कुमार गुप्ता
उप निबंधक : सदर
इटावा
20/11/2019